

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 12.13....(T) / 2005-06



आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
... 11.8.06.	<p>आवेदक / अपेक्षिका श्री / श्रीमती ३०.८.०६.</p> <p>पिता / पति ३०.८.०६. साक्षियों परीक्षण के लिये आवेदन किया है। आवेदक के अनुसार आवेदक / अपेक्षिका ने मौजा श्री मौजा नं० ०१..... रखा गया है। इसका प्लॉट नं० ३०५१० रका ०४५८०२६२६१९ दलीब सं० ७५४४ दिनांक १६.८.०६. के द्वारा श्री/श्रीमती को प्राप्त किया है। इस भूमि अवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हुई है, इस बीच आम इश्तेहार निगंत करें। अभिलेख दिनांक ... २६.८.०६. को उपस्थितापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>... १२.८.०६.</p> <p>अभिलेख उपस्थितापित किया गया। आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रेयतो खाते की है। जमावदी सं० ३०.८.०६. में/विक्रेता के ३०.८.०६. के नाम से लगान रसीद कट रहा है। आवेदक निवासित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कर्जा में है। निवासन धनबाद / कस्तक्ता निवासन कार्यालय से किया गया है। तथा अन्तर्मुद्राक की राय को प्राप्त है। जमावद कर दलील को वैध करा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आवाद आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बो० सी० सी० एल० के अंत से बारह है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशासा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को २६.८.०६. किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निगंत करें एव हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुशासन प्रतिवेदन मार्गे।</p> <p>लेखाविषय एव संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>
	<p>मेरे द्वारा फोटो कौपी किया गया</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>	<p>मिलान किया</p> <p>सिराजलग परामर्श</p> <p>पुलना लिपिक</p> <p>अधिकारी प्राप्ति संचालनी</p> <p>रामेश उमर फिरा प्रधान सहायक जिला अभिलेखागार प्रियम ७८ एक्ट १/१८७२ द्वारा प्राप्तिकृत</p>



मेरे द्वारा फोटो कौपी

किया गया

अंचलिक/टंकक

मिलान किया

सिराजलग परामर्श

पुलना लिपिक

अधिकारी प्राप्ति संचालनी

रामेश उमर फिरा

प्रधान सहायक

जिला अभिलेखागार

प्रियम ७८ एक्ट १/१८७२ द्वारा प्राप्तिकृत



प्रत्येक वर्ष एक विधायिका चुनाव के लिए आयोजित होते हैं। इनमें से एक विधायिका चुनाव बिहार में आयोजित होता है। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।

विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई। इस चुनाव के लिए विधायिका चुनाव की तारीख दिनांक 15 अगस्त 1980 को घोषित की गई।



प्रधान सहायक
चित्ता अभिव्यक्ति
दिन १६ एक्ट १/१८७२ द्वारा प्राप्तिकरण
दिन १६ एक्ट १/१८७२ द्वारा प्राप्तिकरण

कांडा रु.५/-

आम्रपालित सच्ची प्रतिलिपि

कांडा रु.५/-

मेरे द्वारा कोटो कौपी
किया गया

प्रतिलिपि कंकाल
सुलना लिपिक

कांडा रु.५/-

कांडा रु.५/-





- प्रतिलिपि के लिए उपयोग की जरूरत - २) ८०८०९ -
1. जीवित प्रतिलिपि को लिखने की अनुमति मिला - ८०८०९ -
2. स्थान/जीवित प्रतिलिपि की विशेषता सारोच्च - ८०८०९ -
3. जीवित प्रतिलिपि करने की अनुमति देने - ८०८०९ -
4. जीवित प्रतिलिपि के लिए तारीख देने के लिए - ८०८०९ -
5. जीवित प्रतिलिपि के लिए तारीख देने की अनुमति - ८०८०९ -